

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क.: 1199 / 2014

संस्थित दि: 09 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

चरणसिंह पिता उमनसिंह उइके, उम्र 46 साल, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम बिजौरा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

**— :: उर्पापण — आदेश :: —**

**(आज दिनांक 06 / 01 / 2014 को उपापित किया गया)**

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया रामवतीबाई पति कोहलू गोंड उम्र 40 साल, निवासी खुडडीपुर चौकी डोरा ने आरक्षी केन्द्र रूपझर आकार इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिन बुधवार के सुबह 10:00 बजे उसका पति कोहलू अपने समधी गोकुलसिंह के घर ग्राम कोकमा जाता हूँ कहकर गया था, जो दूसरे दिन तक घर वापस नहीं आया। सुबह 08:30 बजे समधी गोकुलसिंह अपने साथी सम्हलसिंह के साथ घर आये और बताये कि कल मंगलवार को वह कोहलू सुददनसिंह कोकमा से पैदल बिजौरा आये तथा समधी चमारसिंह के यहां करीबन 04:00 बजे पहुंचे तो थोड़ी देर बाद गांव का चरनसिंह घूमते-घूमते चमारसिंह के घर तरफ आया और उन्हें देखकर बोला कि जब ये तुम्हारे समधी है तो मेरे भी समधी हुये। आज मेरे घर पर मेहमानी करेंगे और अपने साथ ले गया। उसने, सुददन, चमारसिंह ने रात करीबन 08:00 बजे चमारसिंह के यहां खाना खाये और बीच के कमरे में सो गये। रात्रि करीबन 10—11:30 बजे चरनसिंह उनके पास आया और बताया कि उसने कोहलूसिंह को मार डाला है। बताकर वापस हो गया। तब वह पीछे-पीछे उसके घर जाकर देखा तो बल्ब के उजाले में कोहलूसिंह चरन के आंगन में गद्दी लकड़ी की थुनिया के पास सटा खड़ा था, जिसके गले

तथा थुनिया में काला तार लपटा था। उसने चरन से बोला कि तुने यह क्या कर दिया तो उसने कोहलू के गले का तार खोलकर एक तरफ फेंका और कोहलू को घसीटते अपने घर की सामने की परछी में सुला दिया और कंबल ढाक दिया। वह डर कर वापस चमारसिंह के घर आया यहां पर चमारसिंह व सुद्धन को बताया कुछ देर बाद चौक तरफ से गांव के लोगों की आवाज सुनाई पड़ी बाहर निकल कर देखे तो गांव के 20-25 लोग इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे फिर सभी लोग चरन गोंड के घर गये वह नहीं मिला। कोहलू की लाश परछी में रखी मिली जिसे गांव वालों के साथ चेक किया तो वह फौत हो गया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/14 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 19.01.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट